अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई नया उदाहरण शुरू न करें।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : वे कल यहां उपस्थित नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक आज सुबह छह बजे तक चली थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको मेरी बात समझनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, परसों विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने यह कहा था कि मैं कुछ कहने से पहले सुनना चाहूंगा। अब आज मेरी बारी है, इसमें रूकावट नहीं डाली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की ओर से यह शिकायत की गई है कि अल्पमत में आते ही...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माइक ठीक नहीं है, इसे सुधरवायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी, क्या आप दूसरे माईक का भी प्रयोग करेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजयेपी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वे मुझे सुनना चाहते है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो हम सुनना ही चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं कह रहा था कि यह शिकायत की गई है और इसके लिए मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैंने राजनैतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। संसद की बैठक चल रही है। प्रतिदिन सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरूद्ध मतदान करने का अवसर मिलने वाला था।

श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे पहले आप चंद्रशेखर जी को उनके जन्म दिन पर बधाई दे दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब सदन का नेता बोल रहा हो तो व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बधाई भी नहीं देने दोगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सदन में...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आज चंद्रशेखर जी का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसका बर्थ डे है?

अध्यक्ष महोदय : आज चंद्रशेखर साहब का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत-बहुत बधाइयां।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अल्पमत की सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी। किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि वह नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव जी भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे।

उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या-क्या किया गया, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था, तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की बजाय, प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस चली है, अब समाप्त होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर, अभी-अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं, वे क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाएं, तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रैस में या मीडिया में जो कुछ छपा है, उसका दोहरा दिया जाए, यह तरीका हो सकता है, मगर अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता

हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था, तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच आ रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद, मैं बदल गया हूं, क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे, उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बननी निश्चित थी। अंतिम समय में भी हमसे राष्ट्रपति जी से कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नही है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, तो आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 13 महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे। हम किसी का साथ नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ऐसा लगता है कि पचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे है। हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है। नए गठबंधन हो रहे है। हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो देश के सामने नैशनल एजेंडा प्रस्तुत किया, लेकिन आज हमें हटाने के लिए निषेधात्मक रवैये में, नकारात्मक रवैये में ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से यह कहते रहे हैं कि भारत की राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार, हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेशों की आशाओं और आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सके हैं। 13 महीने हम सरकार चलाते रहे हैं, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो। उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नही। यह एक ऐसा शुभ लक्षण है जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1998 के अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निन्दा की वह स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूं –

[अनुवाद]

> "अपनी खास प्रकृति के कारण क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय आधार की कमी है तथा वे स्थानीय जातीय विचारधाराओं से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। वे सत्ता में आने के लिए लोकप्रिय आधार अपनाते हैं। वे संकीर्ण भाषाई या जातीय भावनओं को बढ़ावा देते हैं। जल्दी ही ये कार्यसूचियां आर्थिक विनाश और सामाजिक उपद्रव का कारण बनती हैं।"

[हिन्दी]

अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में यह आकलन है, तो इसके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने वाममार्गी पार्टीज़ के बारे में टिप्पणी की है। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूं। हमारे वाममार्गी मित्र उसे सुनें

[अनुवाद]

जहां तक वामपंथी दलों का संबंध है, सात दशकों के बाद भी, सी पी आई और सी पी आई एम अपने आपको राष्ट्रीय मुख्य धारा में समेकित करने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

[हिन्दी]

यह गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस मैनीफैस्टो का हिस्सा है, एक उद्घोषणा है। अब शायद इसलिए गठबंधन हो रहा है कि लैफ्ट पार्टीज को नैशनल मैनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें उनसे किसी तरह का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनता दल असमंजस में था। पता नहीं, उसने क्या फैसला किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया है, उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना चाहिए।

[अनुवाद]

> "जनता दल का जन्म 1989 में कांग्रेस विरोधी आंदोलन के रूप में हुआ था। यह अहम् द्वारा क्षुब्ध समूह है और कटु व्यक्तियों का समूह है। इसे गंभीर राजनैतिक गठन नहीं कहा जा सकता। एक एमिबा की तरह यह छोटे-मोटे समूहों में बंटकर ही चल रहा है। इसका सामाजिक न्याय का आधार खोखला है। और विघटनकारी जातिगत राजनीति की परम्परा का भ्रामक कवच ही है।"

[हिन्दी]

अगर मिलने का यह आधार बनने वाला है, तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और मेरी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वह क्या एक विचार से अनुप्राणित है? क्या कोई कार्यक्रम है, क्या नेतृत्व एक है? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइये, हम पांच मिनट में नही एक मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या देश को यह जानने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुए सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं...(*व्यवधान*) अगर किसी को जनादेश था, तो हमको था, आपको तो नहीं था।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : दस पार्टियों को 25 प्रतिशत और केवल हमारी पार्टी को 21 प्रतिशत वोट मिले हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह आंखों देखा हाल तुरंत रोका जाए अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई आंखों देखा हाल नहीं होना चाहिए। यह सब क्या है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा आधार नैशनल एजैंडा है। हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नैशनल एजैंडा पांच साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्याविधि में पूरा करने का हमारा इरादा है। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली, उस समय देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वह देश की सुरक्षा का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा यह दावा अधिकारपूर्ण है कि हमने हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है।

यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया कि देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था। हम प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्म-रक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर पहले से तैयारी हो तो जो खतरा आने वाला है, वह खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था।

परमाणु परीक्षण के बारे में भी चन्द्र शेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन पचास साल का हमारा अनुभव क्या बताता है। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है, वह एक चेतावनी है। पोखरण-2 टैस्ट कोई आत्म-श्लाघा के लिए नहीं था। वह कोई पुरूषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं कि यह देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वह क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसीलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आयेंगी, यह हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ।

आर्थिक प्रतिबन्ध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा सम्बन्धी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं, हम उनके विरूद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बन्द करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शान्ति रही, दो शिविरों में बंटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं न कहीं यह बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज़ आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है।

आलोचना तो अग्नि-2 की भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ, जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारी एक अपनी पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गये हैं, इसलिए अग्नि-2 का परीक्षण रोक दिया गया है। उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रान्ति उत्पन्न कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न आगे करेंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी जो दबाव में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, यह मुझे मालूम है। क्या हमारे परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थीं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरामण जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उस समय रक्षा मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हुए वेंकटरामण जी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि तैयारी हो गई परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज-सामान प्रस्तुत था, मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ क्यों। अंतरराष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव में हम काम

क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं अक्षुण्ण रहेंगी, तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर, परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है।

हम तीन बार हमलों के शिकार हुए हैं। ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते हैं, इरादा भी नहीं रखते हैं। मुझ से यह सवाल पूछा गया कि पोखरण-2 लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या सम्बन्ध है? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी रक्षा के लिए शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ, लेकिन आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि जब 1977-78 में जनता सरकार बनी थी, श्री मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे तो मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी सम्बन्ध सुधरे हैं। जो सम्बन्ध सुधरे हैं, उनके बारे में कहना कि सम्बन्ध नहीं सुधरे हैं, यह राष्ट्र के कौन से हित को संवर्द्धत करता है? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? श्रीलंका के साथ मुख्य व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ ट्रांजिट संधि हुई है। कलकत्ता-ढाका के बीच में बस चलने वाली है। इसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का मुद्दा नहीं है, भारत को लेकन आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगायी जा रही है, भारत की नीति से वहां के राजनैतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ौसी देश में दखल नहीं देना चाहते लेकिन हम किसी को अपने मामलों में दखल देने भी नही देंगे, इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से तत्काल हमने वह मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा और सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्त नहीं खुलेंगे।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ौसी का कर्तव्य है लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहां की जनता को जाता है। वह शांति से अपना जीवन निभाना चाहती है। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भावनाएं भड़काकर उनके हाथों से गलत काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू-कश्मीर खबरों में नहीं है। अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहां कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहां कितने यात्री गये, फिल्म बनाने के लिए कौन सी कम्पनियां वहां इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। यह सुधरी हुई स्थिति का परिचायक है। उत्तर पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न जारी हैं। उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाये गये, और भी कदम उठाये जाएंगे। सचमुच में ये मुद्दे नहीं हैं। यह हमारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं।

कल यह कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। अपने नेशनल एजेंडा में कंसेसस विकसित करने की बात कही थी मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया यह आरोप ठीक नहीं है। जहां चर्चा की आवश्यकता थी, हमने चर्चा की है। जहां विश्वास में लेना आवश्यक था, हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ-साथ चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है। इसमें सभी पक्षों का दायित्व है। क्या प्रतिपक्ष में हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमति इंदिरा गांधी ने हमें जानकारी दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होने वाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती है लेकिन हमने उसे शिकायत का मुद्दा नहीं बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी सलाह से आगे बढ़ें, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा करना होगा। विचार-विनिमय के और भी अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी हमें आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग-अलग दलों से बातचीत हुई है। अगर यह विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीनाझपटी नहीं होगी तो हम कल विधेयक लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास कराने के लिए तैयार हैं लेकिन पिछली बार...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कल किसी ने देखा है क्या?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधेयक जिस रूप में हैं, उसी रूप में पारित किया जाए और अलग-अलग वर्गों को अगर प्रतिनिधित्व देना है तो उस पर बाद में विचार किया जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है; सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त नहीं है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहां पारित भी होते रहे हैं। प्रतिपक्ष ने उन्हें महत्वपूर्ण समझा और वह देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे। उसमें सहयोग दिया लेकिन प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गये, उनके लिए हमें दोषी ठहराना, यह हमारे साथ न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। जब हमने सत्ता संभाली थी तो देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। क्या कोई इंकार कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है। अगर संकुचित, संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले छः महीने में स्थिति सुधरी है- 5.8 परसेंट जी.डी.पी. का होना, 32 बिलियन रिजर्व और इंफ्लेशन 4.6 परसेंट- इसे मैनेज किया जा सकता है। बीच-बीच में राजनैतिक अस्थिरता का

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वातावरण पैदा किया जाता है, उसका अर्थ-व्यवस्था पर कितना कुछ कुप्रभाव पड़ता है, यह आजकल हम देख रहे हैं। क्या प्रतिवर्ष यह खेल होगा? अगर आपकी सरकार बनती है तो मिली-जुली सरकार में आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के समर्थन से ज्यादा समर्थन हमें प्राप्त है, या यह सहयोग, यह मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है। देश को अंधेरे में रखा जाएगा? देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी जाएगी? जो कुछ है, वह खुले में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शान्ति का और सहयोग का वातावरण, कुछ दुर्घटनायें हुई हैं इतना बड़ा देश है, लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे, वे प्रकाश डाल चुके हैं। श्री यशवन्त सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा की, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसे सदन के सामने रखा है इस बार अन्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भण्डारण की व्यवस्था कम पड़ रही है। इसका श्रेय किसानों को दिया जाएगा, हम श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे हैं। बरसों से अपनाई गई नीति, अपने सुपरिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर तूफान आ जाए और फसल नष्ट हो जाए, तो फिर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबको एक जुट होने की जरूरत है, मगर उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है। इस मनोवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे किसान बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्यायें हमारे सामने हैं। पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, अनेक संगठनों की ओर से मांग हो रही है कि किसानों का बोझा कम होना चाहिए। हम उन्हें आश्वासन देना चाहते है कि उनके बोझ को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए कदम उठाए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इनपुट् के दाम कम हों, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबन्ध आवश्यक है। फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके? आपको तो पचास साल हो गए फिर भी आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। कृषि नीति बनाई जा रही है। उसमें सबके साथ विचार विनिमय की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। किसानों के हित का सवाल है। इसमें सबका सहयोग आवश्यक है।

पिछले सत्र में उन मैंमोरेंडम्स को लेकर उग्र भावनायें प्रकट की गई थीं, जिनका संबंध अजा/अजजा और पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन से है। रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले दस साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम सदन के सामने लेकर आयेंगे। 1997 में जो मैमोरेंडम्स निकाले गए थे, उनमें से दो अदालत में हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक तैयार है और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में अजा/अजजा और बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैंकलाग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी जो व्यवस्था है, यह संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो बरसों तक बैकलाग पूरा नहीं होगा, बल्कि नया बैकलाग तैयार होता जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। इसके लिए भी सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। इस सवाल पर परिगणित जातियों व पिछड़े वर्ग के बन्धुओं की भावनाओं को हम समझते हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा। जो सदस्यों की तथा इन वर्गों की इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा।

एक प्रश्न जो काफी चर्चा का विषय बना है...

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हमने कहा था कि कन्सैन्सस कर लीजिए और सब को बुला लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : करेंगे।

श्री बूटा सिंह : यह बात मानी होती, तो यह मसला संसद में ही हल हो जाता।...(*व्यवधान*) हमारे भी प्रधान मंत्री हैं, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते हैं।...(*व्यवधान*) आपने वैसा नहीं किया है, नही तो यह मसला हल हो जाता।...(*व्यवधान*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक विषय जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वह नौसेना के अधिकारी को उनके पद के हटाए जाने का मामला है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, उसको पढ़ें। वह दस्तावेज प्रचार के लिए नहीं हैं, वह तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए, आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। उस दस्तावेज को पढ़ने के बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा। एक सुझाव आया है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ये प्रश्न खड़ा किया था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते है चर्चा हवा में नहीं होनी चाहिए, चर्चा आरोपों और प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और वह ठोस आधार अब है। जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है उसे आधार बना कर चर्चा की जा सकती है। सदन के कुछ प्रमुख सदस्यों की समिति भी बनाई जा सकती है। श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री गुजराल, मुलायम सिंह यादव जी, चन्द्र शेखर जी उनको हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। शिवराज पाटील जी तथा और भी नाम आवश्यक हो तो उनका इसमें समावेश किया जा सकता है। वे तथ्यों को देख लें और अगर वे परिणाम पर पहुंचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ-साथ कोई संसदीय समिति भी होनी चाहिए तो सरकार उस पर आपत्ति नहीं करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप को आधार बना कर, मीडिया में प्रकाशित सामग्री को

लेकर अगर आरोप लगते हैं तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरोप लगाने वाले कम से कम यह तो अनुभव करें कि उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। रक्षा मंत्री जी ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, वक्तव्य दिए हैं, वह सर्वदलीय समिति, जो आपके कक्ष में मिली थी उसके निर्णय के अनुसार किए हैं। उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने सदन या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की, मगर जब देश के रक्षा मंत्री जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है, उनके दिल पर भी आघात लगना स्वाभाविक है। उसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूढे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें।

कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस समझौते के लिए कल तैयार होते तो आज यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत ही नहीं आती। हमने मिलीजुली सरकार को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की है।

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : नहीं चली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चल रही है और आज शाम को और तेजी से चलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के चलने या न चलने का सवाल नहीं है। यह देश चलेगा या नहीं चलेगा, जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा। एक मिलीजुली सरकार की आलोचना करने के बाद फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी तो क्या यह उन दोषों से बचेगी जिनके लिए हमको अपराधी करार दिया जा रहा है। मिलीजुली सरकार की सीमाएं हैं।...(*व्यवधान*) उन सीमाओं को अभी हमें समझना है और आचरण करना है। कांग्रेस पार्टी का संकोच और झिझक मैं समझ सकता हूं। लेकिन मन बंटा हुआ है। हमें हटाने की उत्कट लालसा, सत्ता में भागीदार बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ़ने का फैसला – इसमें कठिनाइयां हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। अच्छा है, दो दिन बहस चली है। गर्मागर्म, जरूरत से ज्यादा गर्म बहस हुई। थोड़ा संयम चाहिए और यह बात सभी दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण और हथियार है जिसे एक जीवन-व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है। हर नागरिक को उसके अंदर समानता की गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल और पुष्ट करना आवश्यक है।

संगमा जी ने इंस्टीट्यूशन्स की बात कही थी। बाद में चन्द्रशेखर जी ने उस पर जोर दिया। संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो पालन करना चाहता हूं लेकिन मुझे इस तरह से घेर कर रखा गया है कि मैं विवश और लाचार हो जाता हूं। इतना कमजोर तो मैं नहीं हूं। राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक हैं वे हमने सारी शक्ति और संकल्प के साथ किए हैं। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और खास करके मुलायम सिंह जी को जो कभी-कभी बड़े कठोर बन जाते हैं, यह बात कहां से दिखाई देती है कि मेरे और आडवाणी के बीच मतभेद हैं?...(*व्यवधान*) सोच-विचार करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी विद्वता पर कभी मुझे शक नहीं है। आपको मुखौटा कहा गया, इसलिए मुझे अफसोस है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुखौटे की चिन्ता मत करिए, मुखौटा उतर कर फेंका जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह मुखौटा उतर जाएगा तो हम आपके साथ होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत अच्छा। फिर आने के लिए तैयार रहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस दिन आप यह मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और श्री शिव शंकर जी के बीच तो समझ में आ सकती है, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आडवाणी जी और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोक सभा में चुनकर आया था, तब से आडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे सहयोग दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग-अलग सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। क्या आप सब एक राय के हैं? मुलायम सिंह जी, क्या आप में और बेनी प्रसाद जी में किसी मामले को लेकर राय अलग-अलग नहीं होती है? ...(*व्यवधान*) मुझे मालूम है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने 13 महीनों में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे? आखिर चुनाव पांच साल के लिए होते हैं। 13 महीने का काल कोई बहुत लम्बा काल नहीं है लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगा कर अपनी झुंझलाइट, कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप उनको मत मानिए। क्या वह जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार चले। लोग चाहते हैं कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हमें सेवा करने का आगे मौका मिले। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के मुख्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे यहां आए हुए हैं। वे सदस्य हो सकते हैं परन्तु वे मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही, क्या वे यहां मतदान करेंगे? क्या यह नैतिक भी होगा? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेणुगोपालचारी, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्यो, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, श्री पी॰आर॰ कुमारमुंगलम ने अनुरोध किया है कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया और श्री शिवराज सिंह चौहान, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें व्हीलचेयर्स पर दीर्घा में लाया गया है, को आन्तरिक दीर्घा में मतदान करने की अनुमति दी जाए। यदि सभा अनुमति देती है तो उन्हें आन्तरिक दीर्घा में मतदान करने की अनुमति दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां,

अध्यक्ष महोदय : उनकी देखभाल के लिए एक डाक्टर भी वहां हो।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आपको पत्र लिखा है। इस संबंध में सर्वोदाहरण और विनिर्णय हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा मतदान के बारे में उसकी अनुमति है या नहीं, इस बारे में विनिर्णय दें।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, वे इस सभा के नियमित सदस्य हैं। उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है और वे किसी अन्य सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए इस सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में उन्हें इस विशेष अवसर पर इस सभा में मतदान करने का पूर्ण अधिकार है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, उन्हें उड़ीसा जाने दो और वहां अपना कार्य करने दो।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय वे उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की संचित निधि से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इस नाते...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उन्होंने राज्य विधान सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि वे राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और इसीलिए उन्हें यहां मतदान करने का पूरा अधिकार है। जब तक वे इस सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देते उन्हें यहां मतदान करने का पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह कानून की ए बी सी और संसदीय परम्पराओं को नहीं जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक : उन्हें उड़ीसा जाने दो और वहां का काम करने दो। उड़ीसा में करने के लिए बहुत सारा काम है। उन्हें भुवनेश्वर में सचिवालय में वापस जाने दो...*(व्यवधान)* उन्हें उड़ीसा जाने दो ...*(व्यवधान)* वे उड़ीसा सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें वहां वापस जाने दो...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : अध्यक्ष महोदय वे उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं। वे यहां कैसे आ सकते हैं और मतदान कैसे कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं हैं, आपको वोट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में नियम कहता है, संसदीय प्रणाली कहती है। इसमें गलत परिपाटी नहीं डाली जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*